न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 16/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. परमजीत सिंह पुत्र गुर सिंह उर्फ गुरदेव सिंह जाति नाई निवासी 48 जीजी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 24.01.2025

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

––निर्णय–– दिनांकः 27.01.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 6 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 18/18 की कुल 2.403 हैक्टेयर भूमि संयुक्त खाता में वादी एंव अन्य सहखातेदारान के नाम से दर्ज है। उक्त खाता में वादी पमरजीत सिंह, गुडी, तारो की जाति सहवन से नाई की जगह जटसिख दर्ज हो गई है। जबकि इनकी वास्तविक जाति नाई है। उक्त त्रुटि एक लिपिकीय त्रुटि है, जो सही की जानी अतिआवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 18/18 की कुल 2.403 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 3, 5, 6 पर अंकित जाति जटसिख के स्थान पर नाई दर्ज किये जाने के आदेश दिए जावे।
2. तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 121 दिनांक 20.01.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक उक्त रकबा वादीगण को विरास्तन इन्तकाल संख्या 159 से प्राप्त हुआ है। विरास्तन इन्तकाल से रकबा गुरा सिंह पुत्र बचन सिंह जाति नाई से भगवान कौर पत्नी गुरा सिंह, मेजर, प्रभजीत सिंह, मोहन सिंह, सोहन सिंह, पिसरान गुरा सिंह, गुडी, तारो पुत्रियां गुरा सिंह कौम नाई को 1.202 हैक्टेयर रकबा ब.हि.ब. प्राप्त हुआ है। उक्त तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण की जाति सहवन से जटसिख दर्ज हो गई। जिसे शुद्धिपत्र द्वारा नाई जाति किया जाना उचित है।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र, प्रार्थी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 6 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 18/18 की प्रति, राजस्व ग्राम 6 एफ एफ के नामान्तरण संख्या 159 दिनांक 20.01.2005 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि प्रार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम 6 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 18/18 में क्रम संख्या 3, 5, 6 पर अंकित जाति जटसिख के स्थान पर जाति नाई दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार उक्त रकबा वादीगण को विरास्तन इन्तकाल संख्या 159 से प्राप्त हुआ है। विरास्तन इन्तकाल से रकबा गुरा सिंह पुत्र बचन सिंह जाति नाई से भगवान कौर पत्नी गुरा सिंह, मेजर, प्रभजीत सिंह, मोहन सिंह, सोहन सिंह, पिसरान गुरा सिंह, गुडी, तारो पुत्रियां गुरा सिंह कौम नाई को 1.202 हैक्टेयर रकबा ब.हि.ब. प्राप्त हुआ है। उक्त तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण की जाति सहवन से जटसिख दर्ज हो गई। जिसे

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

शुद्विपत्र द्वारा नाई जाति किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-ःआदेशः-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली-भांति सावित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 18/18 में क्रम संख्या 3, 5, 6 पर अंकित जाति जटसिख के स्थान पर जाति नाई दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलाससुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★
सत्यमेव जयते

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

परमजीत सिंह वनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए
मुकदमा नम्बर 16/2025
निर्णय दिनांक :- 27.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 एफ एफ, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 18/18 में क्रम संख्या 3, 5, 6 पर अंकित जाति जटसिख के स्थान पर जाति नाई दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 27.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	01	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**01**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/2025/67 दिनांकः 27.01.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर